न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 283 /2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूपेन्द्र सिंह कड़वा पुत्र श्री विनोद कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. सुचित्रा देवी पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. उर्मिला पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 22.6.2023

वादी भूपेन्द्र सिंह कड़वा ने प्रतिवादीगण सुचित्रा देवी वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीया सं. 1 व 2 वादी की बुआ है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी की बुआ प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.218 है. कृषि भूमि तथा वादी की बुआ प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.704 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीया सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादीया सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादीया सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 व 2 को प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) **वादी भूपेन्द्र सिंह कड़वा पुत्र श्री विनोद कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --2

22/6/23
प्रशासन ... अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल लीलांवाली

160/217	35	20/0.253 है.
156/219	45	25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
156/220	53	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 6/1/0.228 है., 7,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 19/0.139 है., 20/0.253 है.
155/220	54	15/1/0.228 है., 16/1/0.228 है.,
		कुल 3.328 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/217	31	17,18/0.253 है.प्र.
		कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 1 सुचित्रा देवी पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/220	54	25/2/0.025 है.
155/221	55	5/2/0.025 है., 15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.
156/217	31	1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है.
157/220	52	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/2/0.025 है., 25/2/0.025 है.
157/221	57	5/3/0.018 है., 5/4/0.007 है., 6/2/0.025 है., 15/4/0.009 है.
158/220	51	21/0.253 है.
160/215	19	15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.,
161/215	20	1/2/0.025 है.
		कुल 0.890 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादीया सं. 2 उर्मिला पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/220	52	3/0.253 है.
158/218	40	18ता23/0.253 है.प्र.
158/219	47	1,2,3,8ता13/0.253 है.प्र.
159/217	34	16/2/0.025 है.

लगातार --3

27/6/23

लीलांवाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है.,
4/2/0.025 है., 5/2/0.025 है.
कुल 4.198 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीया सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीया सं. 1 व 2 टाल मटोल करती रही, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गई। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 115/3 एवं चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श–1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी की बुआ प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 4.218 है. कृषि भूमि तथा वादी की बुआ प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 4.704 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व

लगातार --4

27/6/3 2023
लीलावाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी भूपेन्द्र सिंह कड़वा पुत्र श्री विनोद कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/217	35	20/0.253 है.
156/219	45	25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
156/220	53	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 6/1/0.228 है., 7,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 19/0.139 है., 20/0.253 है.
155/220	54	15/1/0.228 है., 16/1/0.228 है.,
		कुल 3.328 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/217	31	17,18/0.253 है.प्र.
		कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 1 सुचित्रा देवी पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/220	54	25/2/0.025 है.
155/221	55	5/2/0.025 है., 15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.
156/217	31	1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है.
157/220	52	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/2/0.025 है., 25/2/0.025 है.
157/221	57	5/3/0.018 है., 5/4/0.007 है., 6/2/0.025 है., 15/4/0.009 है.
158/220	51	21/0.253 है.
160/215	19	15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.,
161/215	20	1/2/0.025 है.
		कुल 0.890 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

27/6/3 2023
लीलांवाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग) प्रतिवादीया सं. 2 उर्मिला पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/220	52	3/0.253 है.
158/218	40	18ता23/0.253 है.प्र.
158/219	47	1,2,3,8ता13/0.253 है.प्र.
159/217	34	16/2/0.025 है.
160/217	35	1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है., 5/2/0.025 है.

कुल 4.198 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.218 है. कृषि भूमि में से वादी को 3.328 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 2 एल.एल. डब्ल्यु. के खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.704 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का हिस्सा कम किया जाकर वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/6/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/6/3

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.283 /2023

भूपेन्द्र सिंह कड़वा पुत्र श्री विनोद कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. सुचित्रा देवी पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. उर्मिला पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) **वादी भूपेन्द्र सिंह कड़वा पुत्र श्री विनोद कुमार कड़वा जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/217	35	20/0.253 है.
156/219	45	25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
156/220	53	4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 6/1/0.228 है., 7,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है., 19/0.139 है., 20/0.253 है.
155/220	54	15/1/0.228 है., 16/1/0.228 है., कुल 3.328 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/217	31	17,18/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादीया सं. 1 सुचित्रा देवी पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
155/220	54	25/2/0.025 है.

22/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल लीलांवाली

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

155/221	55	5/2/0.025 है., 15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.
156/217	31	1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है.
157/220	52	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/2/0.025 है., 25/2/0.025 है.
157/221	57	5/3/0.018 है., 5/4/0.007 है., 6/2/0.025 है., 15/4/0.009 है.
158/220	51	21/0.253 है.
160/215	19	15/2/0.025 है., 16/2/0.025 है.,
161/215	20	1/2/0.025 है. कुल 0.890 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादीया सं. 2 उर्मिला पुत्री स्व. श्री आत्माराम पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/220	52	3/0.253 है.
158/218	40	18ता23/0.253 है.प्र.
158/219	47	1,2,3,8ता13/0.253 है.प्र.
159/217	34	16/2/0.025 है.
160/217	35	1/2/0.025 है., 2/2/0.025 है., 3/2/0.025 है., 4/2/0.025 है., 5/2/0.025 है.
		कुल 4.198 है. कृषि भूमि

प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 115/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.218 है. कृषि भूमि में से वादी को 3.328 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादीया सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 2 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 5/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.704 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का हिस्सा कम किया जाकर वादी का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वां शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.6.2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
लीलांवाली
संगरिया